

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2025/57


दिनांक : 28/01/2025

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश जारी विशिखानु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु जारी सूची निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	आदेश क्रमांक व क्रम संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	संशोधन
1.	आदेश क्रमांक 50 दिनांक 23.01.2025 क्रम संख्या 2	डॉ. निकिता गुप्ता पुत्री श्री दिनेश गुप्ता	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा पढ़ा जावें।
2.	आदेश क्रमांक 54 दिनांक 24.01.2025 क्रम संख्या 2	डॉ. डोनिका बिश्नाई पुत्री श्री विजय पाल बिश्नोई	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुपगढ़ पढ़ा जावें।
3.	आदेश क्रमांक 50 दिनांक 23.01.2025 क्रम संख्या 14	डॉ. मेहवीश हमदानी पुत्री श्री सैयद इनायत अली	विद्यार्थी का नाम मेहवीश हमदानी के स्थान पर मेहवीश हमदानी एवं विद्यार्थी के पिता का नाम सईद इनायत अली के स्थान पर सैयद इनायत अली पढ़ा जावें।
4.	आदेश क्रमांक 48 दिनांक 22.01.2025 क्रम संख्या 16	डॉ. इकरा परवीन पुत्री श्री मोहम्मद आरिफ	विद्यार्थी का नाम इकरा प्रवीण के स्थान पर इकरा परवीन पढ़ा जावें।
5.	आदेश क्रमांक 50 दिनांक 23.01.2025 क्रम संख्या 21	डॉ. अब्दुल कादिर पुत्र श्री मोहम्मद सुलेमान	विद्यार्थी का नाम अब्दुल कदीर के स्थान पर अब्दुल कादिर पढ़ा जावें, एवं प्रशिक्षण केन्द्र पीएमओ टॉक के स्थान पर पीएमओ नागौर पढ़ा जावें।
6.	आदेश क्रमांक 50 दिनांक 23.01.2025 क्रम संख्या 5	डॉ. मनीषा कसना पुत्री श्री रामवतार कसना	प्रशिक्षण केन्द्र पीएमओ, कोटपूतली-बेहरोड़ के स्थान पर पीएमओ, बानसुर कोटपूतली- बेहरोड़ पढ़ा जावें।

शेष यथावत्।



अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2025/57

दिनांक : 28/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा/ बीकानेर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।


अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।